

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 212]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2024—श्रावण 4, शक 1946

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2024

क्रमांक आर. 1621246/2023/दो/सी-एक्स : भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (सी) एवं (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानों को, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रतिबंधित स्थान घोषित करता है, अर्थात् :-

अनुसूची

क्र (1)	स्थान (2)	पता (3)	प्रतिबंधित क्षेत्र की चतुर्सीमा (4)
1.	बीना-पनकी (कानपुर) पाईप लाईन वाल्व स्टेशन-4 स्थित बीरउ, तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़	भारत पेट्रोलियम कर्पोरेशन लिमिटेड अंतर्गत बीना-पनकी (कानपुर) पाईप लाईन वाल्व स्टेशन-4 स्थित ग्राम बीरउ, तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़ की भूमि खसरा नंबर 1833/2/2 रकवा 0.2700 हैक्टर	पूर्व - बेबी अहिरवार की भूमि। पश्चिम - बेबी अहिरवार की भूमि। उत्तर - बीरउ सीतापुर शासकीय सड़क मार्ग। दक्षिण - बालाराम बसंते की भूमि।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मीना, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2024

क्र. आर. 1621246-2023-दो-सी-एक्स.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मीना, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th July 2024

No. 1621246/2023/Two/C-X : In exercise of the powers conferred by sub-clause (d) of clause (8) of Section 2 (c) (d) of the Official Secrets Act, 1923 (XIX of 1923) read with Government of India, Ministry of Home Affairs's Notification No. S.O. 1285, dated the 4th May, 1963, the State Government hereby, declares the places specified in the Schedule below to be prohibited places for the purposes of the said Act :-

SCHEDULE

S.No.	PLACE	LOCATION	DESCRIPTION OF THE BOUNDRIES OF THE PROHIBITED PLACES
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bina-Panki (Kanpur) Pipe Line Valve Station-4, situated at village Beeru, Tehsil Lidhaura, Distt. Tikamgarh.	Bina-Panki (Kanpur) Pipe Line Valve Station-4 under Bharat Petroleum Corporation Limited, land of village Beeru, Tehsil Lidhaura, Distt. Tikamgarh, Khasra No. 1833/3, area 0.2700 hectares.	East- Land of Baby Ahirwar. West-Land of Baby Ahirwar. North-Beeru Sitapur Government Road. South-The Land of Balaram Basante.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H. S. MEENA, Add. Secy.